न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 242 / 2022

अनवान : –

1. दाताराम 2. मानाराम 3. हंसराज 4. रामेश्वरलाल 5. कृष्ण 6. रूकमा
7. सावित्री देवी पि0 चन्दाराम जाति जाट निवासी बाच्छुसर तहसील नोहर जरिये मुख्त्यारआम बेगराज पुत्र उमाराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।

– प्रार्थीगण

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा</u>
<u>अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.</u>

उपस्थिति :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **सायल**
पेरोकार राज

<u>निर्णय</u> दिनांकः 08/10/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता स0 949 / 935 के ख0न0 308 की 32 बीघा भूमि सायलान के पिता ने बजड़ से नोतोड़ की एवं उक्त भूमि सायलान के पिता को दिनांक 25.09.1968 को आवंटित हुई तथा आवंटन से लेकर आज तक सायलान के कब्जा काश्त में है।

वाद भूमि सायलान के पिता चन्दाराम वल्द रामरख द्वारा सींव डोल कायम कर रखी है तथा उक्त भूमि को जीवनपर्यन्त काश्त करते रहे उनकी मृत्यु के पश्चात सायलान उनके वारिसान के वाद भूमि कब्जा काश्त में है। गत पैमाईश भू–प्रबन्धन विभाग द्वारा वाद भूमि रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के साबिका खसरा नं. 308 के हाल खसरा नं. 1093 व 978 में तब्दील व पैमुद हो गये। वाद भूमि को सायलान के पिता ने कदिम्बी सींव–डोल कायम कर रखी है उक्त भूमि के हाल खसरा नं. 1093 की 27 बीघा व खसरा नं. 978 की 5 बीघा भूमि पर त्तायलान काबिज काश्त है उक्त भूमि के उत्तर में गैर मुमकीन भूमि स्थित है जो खसरा नं. 977 व 975 की भूमि है व दक्षिण में गौरीशंकर वगैरह पुत्रगण सुरजाराम जाति जाट निवासी धानसिया तहसील नोहर व मोहनलाल पुत्र जगमाल जाति जाट निवासी धानसिया तहसील नोहर तथा पूर्व में पायतन की भूमि है एवं पश्चिम में सुगनाराम पुत्र कालु जाति ब्राह्मण साकिन मिनकदेसर तहसील नोहर व उसके परिवार के अन्य लोग व दुर्गादत पुत्र सागरमल जाति ब्राह्मण व उसके परिवार का खेत है।

रोही मौजा बाच्छुसर तहसील नोहर के [illegible] 1093 में कुल 14.4969 है० भूमि स्थित है जिसमें सायलान 27 बीघा यानी [illegible] कास्तकार है तथा हसरा नं. 978 की 3.7950 है० भूमि स्थित है जिसमें सायलान 5 बीघा यानी 1.265 है[illegible] के खातेदार काश्तकार है यानी कुल 8.096 है० भूमि में सायलान खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि पूर्व में सम्वत 2001 से लेकर सम्वत 2028 तक आराजीराज रही है परन्तु भू–प्रबन्धन विभाग ने अनुचित

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.03 17:17:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

तरीके से अवैधानिक तरीके से गै० मु० गोचर दर्ज कर दिया जबकि भू–प्रबन्धन को केवल पूर्ववर्ती इन्द्राजात ही दर्ज करने का अधिकार था नया इन्द्राजात करने की अधिकारिता नहीं थी। इसलिए रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता संख्या 949/935 के खसरा नं. 1093 की कुल 14.4969 है० भूमि में से 6.831 है0 भूमि व खसरा नं. 978 की 3.7950 है० भूमि में से 1.265 है० भूमि की हद तक गै० मु० गोचर कलमजन करवाकर बतौर खातेदारी दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

अतः गैरसायल के खिलाफ ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे वे उक्त भूमि से सायलान को बेदखल न करे एवं मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया ।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

प्रार्थी का कथन है कि उक्त भूमि सायलान के पिता को अलॉट हुई थी एवं प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर अलॉट के समय के कब्जा व काश्त है लेकिन वर्तमान जमाबंदी के अवलोकन के स्पष्ट है कि उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वन विकास मरूस्थल वनारोपण एवं चारागह विकास हेतु आरक्षित हेतु आरक्षित है एवं वन विभाग, जोहड़ पायतन की भूमि को सुरक्षित रखने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय द्वारा भी आदेश जारी किये गये है एवं वन विभाग व जोहड़ पायतन की भूमि का किसी के पक्ष में कोई पटटा व आवंटन नही करने बाबत भी निर्देशित किया गया है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी को। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता हैं। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 08/10/25 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.03 17:17:37 IST
Reason: SelfAttested

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर